भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1210

08.12.2025 को उत्तर के लिए

केरल में ईएसए पर कस्तूरीरंगन रिपोर्ट

1210. **एडवोकेट डीन कुरियाकोस:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) का सीमांकन करने वाली कस्तूरीरंगन रिपोर्ट की सिफारिशों की अंतिम अधिसूचना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले केरल में जनसंख्या के उच्च घनत्व जैसी विशेष परिस्थितियों पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (घ) पश्चिम घाट क्षेत्र की समृद्ध जैव-विविधता को बचाने के लिए, इस मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कार्य समूह (एचएलडबल्यूजी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, दिनांक 31.07.2024 को क.आ 3060(अ) के माध्यम से पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र पर मसौदा अधिसूचना को पुनः प्रकाशित किया है। यह क्षेत्र छः राज्यों – गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले हुए कुल 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है।

केरल सरकार ने दिनांक 02.11.2024 को संशोधित प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए स्थानीय स्वशासन विभाग से प्राप्त सुझावों के सत्यापन के आधार पर 12 जिलों के 29 तालुकाओं में फैले 98 गाँवों के कुल 8,590.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को दिनांक 31.07.2024 की मसौदा अधिसूचना का.आ. 3060(अ) पर विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें इस विषय पर अपनी टिप्पणियाँ/मत प्रदान करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

केरल सहित संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए इन मुद्दों की समीक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा व्यापक रूप से आपदा-संवेदनशील एवं अति-संवेदी

पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पहलुओं के साथ-साथ क्षेत्र के अधिकारों, विशेषाधिकारों, आवश्यकताओं और विकासात्मक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से की जा रही है।

****